न्यायालय तहसीलदार लूणी, जिला-जोधपुर(राज.)

राजस्व मुकदमा प्रकरण संख्या 04 / 2017

प्रार्थी बनाम अप्रार्थी

राज्य सरकार जरिये पटवारी श्री मिसराराम

पुत्र श्री हरीराम

जाति भील निवासी सिणली

तहसील, लूणी जिला–जोधपुर

मामला अर्न्तगत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व

अधिनियम 1956 के तहत पारित बेदखली आदेश

निर्णय दिनांक 20-3-17

–: आदेश :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का ने रिपोर्ट पेश की कि अप्रार्थी ने ग्राम सिणली के खसरा नम्बर 266 की सरकारी गै.मु. रास्ता बीघा पर 0.01 अतिक्रमण किया है। पटवारी हल्का की उक्त रिपोर्ट के आधार पर अप्रार्थी के विरूद्ध धारा 91 राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत मामला दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी का जारी नोटिस विधिवत तामील शुदा प्राप्त हुआ जो पत्रावली पर उपलब्ध है। अप्रार्थी जारी नोटिस के सम्बन्ध में उपस्थित हुआ तथा अतिक्रमण स्वीकार किया। अप्रार्थी द्वारा अपना कब्जा पुराना होने बाबत कोई सबूत प्रस्तुत नहीं किया न ही न ही नियमन कराने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर नियमन की कार्यवाही चाही गई है।

अतः अप्रार्थी को अतिकमित भूमि पर अतिकमी घोषित किया जाता है अतिक्रमण करने के जुर्म में लगान 0.02 का 50 गुणा जुर्माना 2-00 रूपये की शास्ति से दण्डित किया जाता है एवं अतिक्रमण की गई भूमि से तत्काल बेदखली के आदेश पारित किये जाते हैं। पटवारी हल्का लूणी 3 को आदेश दिया जाता है कि वह अतिकमित भू–भाग पर कुर्कशुदा खड़ी फसल को नियमानुसार निलाम करे, व निलामी कागजात पेश करे। पटवारी हल्का अतिक्रमित भूमि का कब्जा अपनी तहविल में लेकर रिपोर्ट सात दिवस में पेश करे। बेदखली आदेश की पालना में पटवारी हल्का लूणी 3 को लिखा जावें जुर्माने की डिमाण्ड कायमी हेतु पटवारी एवं टी.आर.ए. तहसील लूणी को लिखा जावें। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो रेकर्ड में जमा की जावे।

निर्णय आज दिनांक 20/3/17 को सुनाया गया।

तहसीलदार, लूणी 20/3/17

जिला–जोधपुर

तहसीलदार लूणी

जिला - जोधपुर

Scanned by CamScanner